

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09112024-258561
SG-DL-E-09112024-258561असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2024/कार्तिक 17, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 244
No. 280]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2024/KARTIKA 17, 1946	[N. C. T. D. No. 244

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 नवम्बर, 2024

फा. सं. 13(122)/2024/कसंभा/1485.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या एफ.27/59—एच.आई.एम.(i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2024 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव :-** इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम।	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)।
2.	पदों की संख्या।	:	01* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण।	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित, समूह 'ग',।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	:	स्तर - 1 (18000-56900 रुपये)।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद।	:	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा।	:	18-25 वर्ष के बीच। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय है) नोट : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं।	:	अनिवार्य :- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	:	दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति।	:	सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है।	:	लागू नहीं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) : 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष। 2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य। 3. उप-सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य। नोट : यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. के. जैन, सचिव

DEPARTMENT OF ART, CULTURE AND LANGUAGES

NOTIFICATION

Delhi, the 5th November, 2024

F. No. 13(122)/2024/ACL/1485.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of '**Multi Tasking Staff**' in the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement. –

- (1) These rules may called the Department of Art, Culture & Languages, **Multi Tasking Staff** Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

- (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post.	Multi Tasking Staff (MTS).
2.	Number of Posts.	01* (2024) *subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Non Ministerial Non Gazetted, Group-C.
4.	Pay Level in the Pay Matrix.	Level – 1 (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix.
5.	Whether Selection Post / Non-Selection Post.	Not Applicable.
6.	Age limits for Direct Recruits.	Between 18 years and 25 Years* *In case of post being filled up by All-India Open Competition, it would be – between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential: Matriculation or equivalent pass from a recognized Board/ Institution.

8.	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Not Applicable.
9.	Period of Probation if any.	Two years.
10.	Method of Recruitment.	By Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not Applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Group 'C' Departmental Confirmation Committees (for considering confirmation) : 1. Pr. Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi : Chairman. 2. Secretary (ACL), Government of NCT of Delhi : Member. 3. Deputy Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi : Member. Note : Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Not Applicable.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. JAIN, Secy.